राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2017

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह सहायता योजना के संचालन हेतु पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार **डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2017** के संचालन हेतु नवीन दिशानिर्देश लागू करती है:–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार** ::
   1) यह योजना "**डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2017**" कहलायेगी।
   2) योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में दिनांक 01.08.2017 से प्रभावी होगी।

2. **परिभाषाऐं** :: इन दिशा निर्देशों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–
   1) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।
   2) "विभाग" से राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अभिप्रेत है।
   3) "आयुक्त/निदेशक" से विभाग का आयुक्त/निदेशक अभिप्रेत है।
   4) "प्रभारी अधिकारी" से विभाग में योजना का क्रियान्वयन अधिकारी अभिप्रेत है।
   5) "जिलाधिकारी" से जिले में विभाग द्वारा नियुक्त/पदस्थापित अधिकारी अभिप्रेत है (बिना किसी रेंक या वेतनमान के विभेद के)।
   6) "युवक/युवती" से विवाह हेतु विधि द्वारा निर्धारित क्रमशः 21 वर्ष व 18 वर्ष के युवक/ युवती अभिप्रेत हैं।
   7) "अनुसूचित जाति" से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 24 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिए यथा राजपत्र में अधिसूचित अनुसूचित जाति अभिप्रेत है।
   8) युगल से विधिक रूप से मान्य विवाह के अन्तर्गत दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाले युवक–युवती (पति–पत्नि) अभिप्रेत है।

3. उद्देश्य ::

1) जाति विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हिन्दू सवर्ण जातियों के युवक/युवती से अनुसूचित जाति के युवक/युवती के द्वारा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है।
2) उक्त उद्देश्य हेतु डॉ. सविता बेन अम्बेड़कर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2017 के अन्तर्जातीय विवाह के साहसिक कदम की सामाजिक रूप से सराहना/प्रोत्साहन स्वरूप नवयुगल को समाज में उनके विवाह को स्थापित करने एवं घर/गृहस्थी को आरम्भिक तौर पर संचालन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

4. पात्रता एवं शर्तें ::

1) अनुसूचित जाति वर्ग का युवक अथवा युवती, जिसने किसी सवर्ण हिन्दू युवक अथवा युवती से, जो दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी है एंव युगल में से किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नही हो, और जो किसी आपराधिक मामलें में दोषसिद्ध न हो, से विवाह किया हो।
2) अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगल के विवाह के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकरण/अधिकारी कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो।
3) युगल की संयुक्त आय 2.50 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।
4) ऐसे युगल द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी समानान्तर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
5) विवाह की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही योजनान्तर्गत लाभ देय होगा।
6) युवक/युवती के प्रथम विवाह पर ही इस योजना का लाभ देय होगा ।

   अपवादः– विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह करने पर वह इस योजना का लाभ लेने के पात्र होगी बशर्ते युगल में से किसी ने पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो, साथ ही विधवा महिला से विवाह करने वाले युवक को प्रथम विवाह की बाध्यता/शर्त में छूट होगी।

5. आवश्यक दस्तावेज ::

1) सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
2) सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

3) युगल का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
4) युगल की जन्म दिनांक की पुष्टि हेतु शैक्षणिक प्रमाण पत्र/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति।
5) युगल का आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की प्रति।
6) युगल का संयुक्त नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का बचत खाता संख्या व पेन कार्ड की प्रतियाँ।
7) युवक व युवती का आय प्रमाण पत्र (स्वघोषणा पत्र)
8) युगल की संयुक्त फोटो।
9) विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
10) युगल में से एक, जो अनुसूचित जाति का न हो, उसे अपने स्वंय के हिन्दू सवर्ण जाति का होने के आशय का "शपथ पत्र"। (शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापित होगा)

6. <u>आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया</u> ::

1) युगल में से योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि के लिये, दिशा निर्देशो के अन्तर्गत पात्र अनुसूचित जाति के युवक या युवती के द्वारा ही, जैसी भी स्थिति हो, उसके गृह जिले में ई–मित्र कियोस्क/राजस्थान एस.एस.ओ. के माध्यम से एस.जे.एम.एस. पोर्टल पर ऑन लाईन आवेदन किया जा सकेगा।
2) योजनान्तर्गत आवेदनकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ को ऑनलाईन आवेदन करते समय एस.जे.एम.एस. पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड किये जायेंगे।
3) संबंधित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्राप्त आवेदन की जांच स्वयं या स्वयं के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर करेगा/करवायेगा। जाँच उपरान्त आवेदन पत्र को, जैसी भी स्थिति हो स्वीकृत/आक्षेपित/कारणों सहित निरस्त करेगा। आवेदन में आक्षेप पाये जाने पर आवेदनकर्ता को एक माह का समय आक्षेपों की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाएगा। इस एक माह की अवधि में आवेदनकर्ता द्वारा आक्षेपों की पूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा तथा ऐसी स्थिति में ऐसे आवेदक को, विवाह की दिनांक से एक वर्ष के अन्दर पुनः नए सिरे से उक्त प्रक्रियान्तर्गत नवीन आवेदन की छूट होगी।
4) किसी भी स्थिति में विवाह के एक वर्ष पश्चात् योजनान्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की छूट नहीं होगी तथा ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
5) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वयं जाँच कर यह सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त कि आवेदक युगल विवाह बन्धन में दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निर्धारित प्रोत्साहन राशि जारी की जावेगी अन्यथा नहीं।

7. प्रोत्साहन राशि ::

योजनान्तर्गत युगल के सुखद दाम्पत्य जीवन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पति–पत्नि के लिए 5.00 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार देय होगी:–

(i). युगल के संयुक्त नाम एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पदनाम की संयुक्त रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक में 8 वर्ष के लिये फिक्स डिपोजिट राशि रूपये 2.50 लाख। (समय से पूर्व अदेय)

(ii). युगल के दाम्पत्य जीवन के निर्वहन के प्रयोजनार्थ आवश्यक एवं घरेलू उपयोग आदि की चीजों की खरीद के लिये संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से नगद सहायता 2.50 लाख रुपये।

8. अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा ::

1) योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार व जिला स्तर पर जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रभारी अधिकारी होंगे।
2) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं योजना के प्रावधानों के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा।
3) योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार (छःमाही स्तर पर) आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी।
4) योजना के संचालन/क्रियान्वयन में लापरवाही बरती जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5) योजना में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की 50:50 प्रतिशत के अनुपात में भागीदारी होगी।
6) योजना के अन्तर्गत जिला अधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही आयुक्त/निदेशक की अनुमति से वित्तीय सलाहकार/प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।
7) विभाग द्वारा बजट आवंटन निर्धारित बजट शीर्षक अन्तर्गत बजट मांग अनुरूप किया जाएगा।
8) विभाग द्वारा निदेशालय, मूल्यांकन संगठन, राजस्थान अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से 3 वर्ष के अन्तराल पर योजना के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति के आंकलन एवं गुणवत्ता सुधार हेतु मूल्यांकन करवाया जायेगा।
9) योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष लाभान्वित होने वाले युगलों में से रेण्डम प्रणाली से 10 प्रतिशत लाभान्वितों का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

9. **विशिष्ट ::**

1) युवक/युवती द्वारा मिथ्या तथ्य/कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा किन्हीं तथ्यों को छिपाये/असत्य पाए जाने पर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
2) इन नियमों की व्याख्या व असाधारण परिस्थितियों में प्रकरणों में दिशा–निर्देशों में शिथिलता के लिये आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे। किसी भी संशय की स्थिति में आयुक्त/निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
3) राज्य सरकार द्वारा 'डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2017' के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों में आवश्यकता प्रतीत होने पर, समय–समय पर आवश्यक संशोधन किये जा सकेंगे।

20/7/2017

(जगदीश चन्द्र महान्ति)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक F.11(37)AP/I C M/SJED/2017-18/ 43610-710 जयपुर, दिनांक 27 जुलाई 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त सचिव (SCD-B), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली–110 001
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिव, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–।।) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
6. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ...
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. संयुक्त निदेशक (योजना),मुख्यावास।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी मुख्यावास .....।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने बाबत्।
11. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को योजना के प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित किये जाने बाबत्।
12. जिला कोषाधिकारी,.....
13. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
14. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
15. लेखाकार, ऑडिट/अंकमिलान/बजट, मुख्यावास।
16. गार्ड फाईल।

for निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव